पत्रांक–बी/विविध(दण्डाधिकारी की शक्ति)–22/2016 ..../

बिहार सरकार

गृह विभाग

गोपनीय

प्रेषक,

पारस नाथ
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार

जिलाधिकारी का कार्यालय 2 6 JUN 2019 बक्सर

पटना, दिनांक– 2019

विषयः– विधि–व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में।

महाशय,

राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विधि–व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए कानून का शासन स्थापित कर लोगों को भयमुक्त समाज प्रदान करने के साथ–साथ चहुँमुखी विकास की रही है। विगत कुछ वर्षों में पर्व–त्यौहारों के अवसर पर और विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर विधि–व्यवस्था संधारण करने हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा, राजस्व सेवा और ग्रामीण विकास सेवा के पदाधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अभियंताओं, पदाधिकारियों को दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता रहा है। विभिन्न तकनीकी अथवा विकासात्मक विभागों के अधिकांश कनीय पर्यवेक्षी पदाधिकारी की पर्याप्त वरीयता एवं प्रशिक्षण के अभाव में कार्यकुशलता की कमी के साथ–साथ विभागीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है और उनकी दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति प्रभावकारी नहीं रही है।

सम्यक विचारोपरान्त दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिए जाते हैं :–

1. अतिसंवेदनशील स्थानों पर अपर जिला दण्डाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडलों में पदस्थापित कार्यपालक दण्डाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/बि.प्र.से. के अन्य पदाधिकारी को ही दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति किया जाए।

2. अन्य स्थानों पर पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति किया जाए।

3. बिहार प्रशासनिक सेवा के अतिरिक्त अन्य दोनों सेवाओं के जिन पदाधिकारियों को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाना हो, वैसे पदाधिकारियों की सूची तैयार किया जाए और उन्हें दंडाधिकारी के कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और शक्तियों के बारे में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित किया जाए। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम BIPARD में आयोजित किया जाएगा।

OSD / both SDO / all BDOs

विश्वासभाजन

ह0/–
(पारस नाथ)
सरकार के विशेष सचिव

452
27-6-19

10:DO/…/Sankalp

ज्ञापांक :– ..../ पटना, दिनांक ,2019

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :– ..../ पटना, दिनांक ,2019

प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डीय आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था)/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :– ..../ पटना, दिनांक ,2019

प्रतिलिपि :– महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :– ..../ पटना, दिनांक ,2019

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 6618/ पटना, दिनांक 24/6/2019

प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

24.6.19
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 1866/गो० दिनांक 27.6.2019

प्रतिलिपि :– सभी अनुमण्डल पदा० / सभी प्रखण्ड विकास पदा०, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदा०
जिला गोपनीय शाखा,
बक्सर।
27/6/19

11-D:/M-Sankalp